न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 71/2017

मिर्जा खलीक उल्ला बैग एडवोकेट निवासी नजरबाग राज टाकीज रोड टोंक राज0
––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

दिनांक 23.11.2017

निर्णय

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 13.09.2017 प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलेक्टर टोंक ने सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन पत्र को लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को अन्तरित किया गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1–कस्बा टोंक हाल गिरदावर श्री प्रहलाद सिंह द्वारा भेजी गई मासिक रिपोर्ट वर्ष 2014 से अगस्त 2017 तक की नकल।

2–यदि गिरदावर द्वारा मासिक रिपोर्ट समय पर नही भेजी गई तो यदि उसको नोटिस दिया गया है तो उसकी नकल।

3–नोटिस का यदि उत्तर नही दिया गया है तो क्या 16/17 सी.सी. का नोटिस दिया गया है यदि हां तो उसकी नकल।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 1754 दिनांक 07.11.2017,1841 दिनांक 16.11.2017 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र कमांक 7288 दिनांक 20.11.2017 से जवाब प्रेषित किया है कि उनके पत्र कमांक 6392 दिनांक 10.10.2017 से आवेदन पत्र सूचना उपलब्ध करवाने हेतु तहसीलदार टोंक को अन्तरित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 6(1) को समयावधि उपरान्त अन्तरित किया गया है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आशिंक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक तथा लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को निर्णय की प्रति प्रेषित कि जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर